List of Documents in order/index

1. Copy of Prativad along with Affidavit
2. Special Power of Attorney
3. Civil Court Order dated 07-09-2011 on the basis of Compromise
4. Decree on the basis of the order dated 07-09-2011
5. Final order of the court dated 25-10-2012

63
15/9/23

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद

(न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) मुरादाबाद।

EA No. 39/2010)

नवीन कुमार बनाम उमेश कुमार

प्रति प्रतिवाद पत्र

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
सत्यमेव जयते
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

न्यायालय श्री स्पेशल जज महोदय मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 39/2010

श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

प्रतिवादपत्र ओर से प्रतिवादी सं0- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1- वादपत्र की धारा 1 लगायत 15 जिस प्रकार उल्लिखित है स्वीकार नहीं है।

अन्य आपत्तियाँ

1- वादी को कदापि कोई कारण अथवा अवसर प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करने हेतु उत्पन्न नहीं हुआ वादी का उनके वाद पत्र वर्णित इसके विरुद्ध समस्त कथन मिथ्या है।

2- वादी का उनके वाद पत्र उल्लिखित यह कथन सही हैकि प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी हम प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 श्री राम बहादुर तथा स्व0 श्रीराम कृपाल थे। और उनके देहान्त के पश्चात उनकी छोडी सम्पत्तियों के सम्बंध में उपरोक्त दोनों पूर्वजों श्री राम बहादुर व श्री राम कृपाल के उत्तराधिकारियों के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति में हम प्रतिवादीगण ने कोई भाग लेना स्वीकार नहीं किया और प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी केवल वादी तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 बराबर बराबर भाग में हुये और प्रत्येक का प्रश्नगत सम्पत्ति में 1/6 भाग है।

3- जब हम प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत सम्पत्ति में कोई भाग लिया ही नहीं तब हमें प्रस्तुत वाद में आकरण ही पक्षकार बनाया गया है।

4- प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध मेन्टेनेबिल नहीं है।

5- उपरोक्त कारणों से प्रस्तुत वाद हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध खण्डित

-2 पर

Sameer Rastogi
Power of Attorny
Holder For defend
6 to 14

Adv.

॥2॥

किये जाने के योग्य है।

Sameer Rastogi

मैं समीर रस्तौगी पुत्र श्री नवीन रस्तोगी निवासी मण्डी गेट मुरादाबाद मुख्तारेखास मिनजानिब प्रतिवादीगण 6 ता 14 इस प्रतिवादपत्र की धारा 1 से 5 तक के विवरण को अपनी व्यक्तिगत जानकारी व प्रतिवादीगण 6 ता 14के निर्देशानुसार सच व सही होना प्रमाणित करता हूँ।

श्रीमति आर्दश आदि
-प्रतिवादीगण
6 ता 14

मुरादाबाद मे आज दि05-7-2011 को प्रमाणित किया गया।

Sameer Rastogi

द्वारा-
श्री सुधीर कुमार टंडन
एडवोकेट

Advocate
5-7-11

Photo ~~Stat~~ By - Tej
Compared. By. महेश कुमार
MA 2001 F

प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
19.09.2023

64
15/9/23

न्यायालय सिविल जज सी०डि० मुरादाबाद

(न्यायालय सि० जज (सि०डि०) मुरादाबाद)

E.A.N. 39/2010

नवीन कुमार बनाम उमेश कुमार

नकल आपत्ति पत्र

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
सत्यमेव जयते
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 39/2010

श्री नवीन कुमार बनाम श्री सुभाष कुमार आदि

शपथपत्र ओर से समीर रस्तोगी पुत्र श्री नवीन रस्तोगी, निवासी [illegible] मुरादाबाद।

मैं शपथ कर्ता शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1- यह कि शपथ कर्ता प्रतिवादी सं0-6 ता 14 का मुख्तारेआम है और प्रतिवादी सं0-6 ता 14 द्वारा वसीयत किये गये मुख्तारेआम की फोटो कापी इस शपथ पत्र का संलग्नक -1 है और मूल शपथ कर्ता के पास है। शपथ कर्ता उपरोक्त नाम व पते का निवासी है और निम्नलिखित सभी तथ्यों से भली भांति परिचित है।

2- यह कि प्रतिवाद पत्र का पैरा 1 से [illegible] का समस्त विवरण शपथ कर्ता की व्यक्तिगत जानकारी में सच सच व सही है।

3- यह कि शपथपत्र का पैरा नं0 1 व 2 का विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सच सच व सही है कुछ असत्य नहीं है न कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे। शपथ पत्र स्थान मुरादाबाद से दिनांक 5-7-2011 को प्रमाणित किया गया।

Sameer Rastogi   Sameer Rastogi

शपथ कर्ता   शपथ कर्ता

Photo Stat Bhy. Tom
Compared By. [illegible]
W/A 300/=

DISTT. COURT UTTAR PRADESH
AFFIDAVIT 2011
0587168

Identified by

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद
19.9.2023

Annexure 1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रू. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA NON JUDICIAL

25 AUG 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 478042

<u>मुख्तारनामा ख़ास</u>

हम कि 1. श्रीमति आदर्श पत्नी श्री वेद भूषण पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी मौ0 ठेर सम्भल जिला मुरादाबाद 2. श्रीमति प्रभा पत्नी श्री कृष्ण गोपाल जी पुत्री स्व0 राम कृपाल जी निवासिनी बिसौली गेट चन्दौसी चन्दौसी जिला मुरादाबाद 3. श्रीमति बीना पत्नी श्री प्रदीप रस्तौगी पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी 160, साकेत मेरठ 4. श्रीमति मंजू पत्नी श्री अनिल भल्ला पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी 7/85 डबल स्टोरी, तिलक नगर नई दिल्ली के है जो कि हम मुकिरान के पिता स्व0 रामकृपाल जी मुरादाबाद मे ही स्थित अन्य सम्पत्तियों के अतिरिक्त ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0 280/1–0.37 एकड, 280/2–0.50 एकड अबादी, 281–0.09 एकड, 282–1.42 एकड, 283–0.32 एकड, 289/1–0.06 एकड, कुल 6 किते रकबा 2.76 एकड धरती के स्वामी, अधिकारी व काबिज थे उसमे से कुछ धरती अबादी की धरती है व कुछ धरती कृषि भूमि है। हम मुकिरान के पिता स्व0 रामकृपाल जी का 1973 में देहान्त हो गया और उनके देहान्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में उनकी छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार हम मुकिरान सहित स्व0 रामकृपाल जी की अन्य पुत्री श्रीमति चित्रा गिल पत्नी श्री हरजिन्दर सिंह गिल ने स्व0 राम

Adarsh

Prabha g

Veena Rastogi

Manju Bhalla

क्रमशः– 2

केन्द्रीय प्रतिलिपि ... जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

सत्यमेव जयते

कृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति में कोई भाग लेना स्वीकार नहीं किया। परन्तु हम मुकिरान को जानकारी हुई है कि हम मुकिरान के पिता द्वारा छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है जिसके सम्बन्ध में एक सिविल अपील सं0 39/2010 श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि श्री जिला जज महोदय, मुरादाबाद के न्यायालय में लम्बित है जिसके सम्बन्ध में हम मुकिरान की ओर से भी पैरवी करने की आवश्यकता आ गई है परन्तु हम मुकिरान का उक्त अपील में स्वयं पैरवी करना सम्भव नही है क्योकि हम मुकिरान मुरादाबाद से बाहर भिन्न–भिन्न स्थानों पर रहती हैं इसके अतिरिक्त हम मुकिरान का स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही है अतः हम मुकिरान खूब सोच समझकर बिना किसी व्यक्ति के बहकाये अथवा सिखायें अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने सगे भतीजे समीर रस्तौगी पुत्र नवीन कुमार रस्तौगी जी निवासी सम्भली गेट, मुरादाबाद को अपना मुख्तारेखास नियुक्त करती हैं और उनको अधिकार देती हैं कि स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लम्बित या प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी वाद में हमारी ओर से अपने हस्ताक्षरों द्वारा कोई एडवोकेट नियुक्त करे कोई वाद पत्र प्रतिवाद्र पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, रैप्लीकेशन अपील, रिवीजन, याचिका निष्पादन प्रार्थना पत्र समझौतानामा योजित व सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। किसी एडवोकेट को नियुक्त करे या हटावे। कोई पत्र या कोई साक्ष्य किसी न्यायालय या कार्यालय में जमा करे या उसे वापिस ले किसी भी कार्यालय या न्यायालय में जो भी कार्यवाही हमारी ओर से करनी आवश्यक समझे करें। हमारे उक्त मुख्तारे खास द्वारा की गई समस्त कार्यवाही हम मुकिरान द्वारा की हुई मानी जावेगी और हम मुकिरान उसके बाध्य रहेंगी।

अतः यह लेख पत्र मुख्तारनामा खास के रूप में लिख दिया ताकि प्रमाण रहें और आवश्यकता पडने पर काम आवे।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
Adarsh	Prabha	Veena Rostogi	Manju Bhalla

ATTESTED
N.S. TYAGI
Advocate/Notary

ATTESTED
N.S. TYAGI
Advocate/Notary

भारतीय गैर न्यायिक

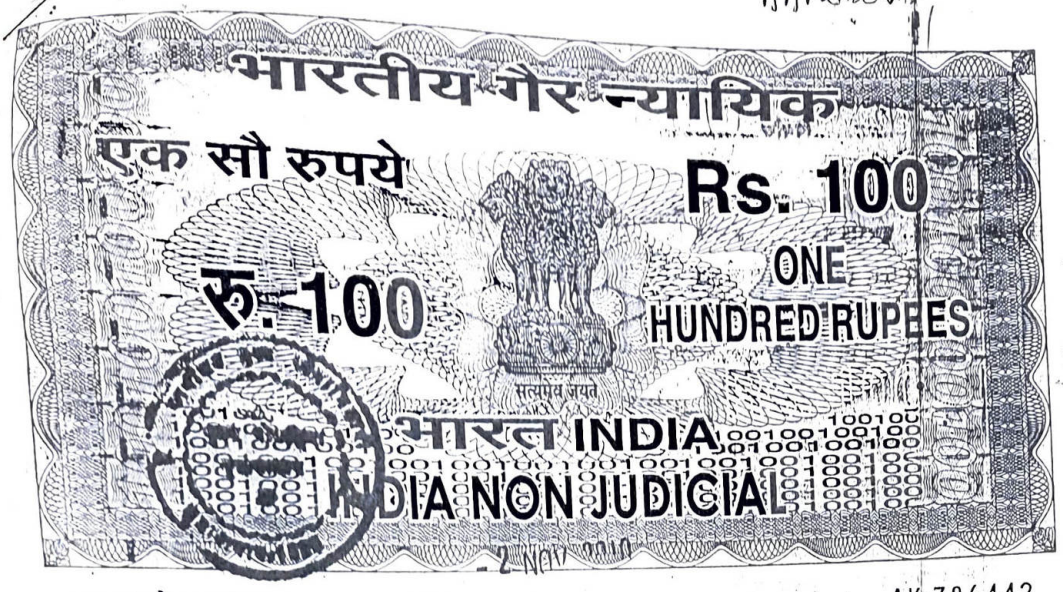

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 NOV 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 386442

<u>मुख्तारनामा खास</u>

जो कि मैं श्रीमति चित्रा गिल पत्नी श्री हरजिन्दर सिंह गिल पुत्री स्व0 रामकृपाल जी निवासिनी दोहा, कतर की हूँ। मैं मुकिरा के पिता स्व0 राम कृपाल जी मुरादाबाद में ही स्थित अन्य सम्पत्तियों के अतिरिक्त ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0 280/1–0.37 एकड 280/2–0.50 एकड अबादी 281–0.09 एकड 282–1.42 एकड 283–0.32 एकड व 289/1.0.06 एकड कुल 6 किते रकवा 2.76 एकड धरती के स्वामी, अधिकारी व काबिज थे उसमे से कुछ धरती आबादी की धरती है व कुछ धरती कृषि भूमि है। मैं मुकिरा के पिता स्व0 राम कृपाल जी का 1973 में देहान्त हो गया और उनके देहान्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में उनकी छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार मुझ मुकिरा व अन्य बहनों ने स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति में कोई भाग लेना स्वीकार नही किया। मुझे जानकारी हुई है कि मेरे पिता स्व0 राम कृपाल जी द्वारा छोडी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है जिसके सम्बन्ध में एक सिविल

क्रमशः 2 पर

Chitra gill

अपील सं0 39/2010 श्री नवीन कुमार बनाम श्री उमेश कुमार आदि श्री जिला जज महोदय, मुरादाबाद के न्यायालय में लम्बित है जिसके सम्बन्ध में मेरी ओर से पैरवी करने की आवश्यकता आ गई है परन्तु मेरा उक्त अपील में स्वयं पैरवी करना सम्भव नहीं है क्योकि मैं मुरादाबाद से बाहर दूसरे जिला में रहती हूँ। मेरा स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही है अतः मैं खूब सोच समझकर बिना किसी व्यक्ति के बहकाये अथवा सिखायें अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने सगे भतीजे समीर रस्तौगी पुत्र श्री नवीन कुमार रस्तौगी निवासी सम्भली गेट मुरादाबाद को अपना मुख्तारेखास नियुक्त करती हूँ और उनको अधिकार देती हूँ कि मेरे पिता स्व0 रामकृपाल जी की छोडी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लम्बित या प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी वाद में मेरी ओर से अपने हस्ताक्षरो द्वारा कोई एडवोकेट नियुक्त करे कोई वाद पत्र,प्रतिवाद पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, ऐप्लीकेशन अपील, रिवीजन, याचिका निष्पादन प्रार्थना पत्र समझौतानामा योजित, व सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। किसी एडवोकेट को नियुक्त करे या हटावे। कोई पत्र या कोई साक्ष्य किसी न्यायालय या कार्यालय में जमा करे या उसे वापिस ले किसी भी कार्यालय या न्यायालय में जो भी कार्यवाही मेरी ओर से करनी आवश्यक समझे करें। मेरे उक्त मुख्तारे खास द्वारा की गई समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा की हुई मानी जावेगी और मै उसकी बाध्य रहूँगी।

अतः यह लेख पत्र मुख्तारनामा खास के रूप में लिख दिया ताकि प्रमाण रहें और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

The Embassy of India does not accept any responsibility for the contents of this document.

हस्ताक्षर

गवाह

PASSPORT NO
E-3082976
DOI : 10.4.2003
ISSUED AT DOHA - QATAR
V.U. 09/4/2013

Chitra

गवाह

भारत का राजदूतावास, दोहा (कतार)
Embassy of India, Doha (Qatar)
सं० दिनांक
No CW/63/2010 Date 27.12.10
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये
Signed in my presence.

Chitra

[BRAHMDEV TYAGI]
Attache (Consular)
Embassy of India
Doha (Qatar)

न्यायालय श्री स्पेशल जज महोदय मुरादाबाद

सिविल अपील सं0 37/2011

श्री नवीन कुमार

बनाम

श्री उमेश कुमार आदि

375/66 क

श्रीमन्,

उपरोक्त अपील में उभय पक्षो में समझौता हो गया है। सभी पक्ष यह स्वीकार करते है। कि प्रश्नगत सम्पत्ति में वादी अपीलार्थी नवीन कुमार व प्रत्यर्थीगण उमेश कुमार, अवधेश कुमार, सुरेश कुमार, संजीव कुमार व पंकज कुमार का 1/6-1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 भाग है। स्व0 श्री रामकृपाल व स्व0 श्री राम बहादुर की लड़कियो ने प्रश्नगत सम्पत्ति मे कोई भाग लेना स्वीकार नही किया और इसी आशय का प्रतिवादपत्र उन्होने इस अपील में प्रस्तुत किया है ऐसी दशा में उन्हें इस समझौते से मुक्त किया जाता है।

सविनय प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपील इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में निर्णीत किये जाने का आदेश किया जावे और इस समझौते को डिक्री तथा निर्णय का अंश बनाये जाने का आदेश किया जाये। उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

प्रार्थीगण

श्री उमेश कुमार
-- प्रत्यर्थी सं0-1

द्वारा- रविन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट

श्री नवीन कुमार
- अपीलार्थी

द्वारा- गोपाल मोहन श्रोत्रिय
एडवोकेट

श्री अवधेश कुमार आदि
- प्रत्यर्थीगण

द्वारा-
सुधीर कुमार धावन एडवोकेट

जनपद न्यायालय

Identified

Identified by
Advocate

Identified
G. M. Shrotriya

7/9/2011

33
25-5-23

न्यायालय सिविल जज (सि० डि०) मुरादाबाद

ओ०एस० नं० 762/07

ई०ए० 39/10

प्रवीन कुमार

बनाम

उमेश कुमार

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

दिनांक 7/9/2011

न्यायालय स्पेशल जज मुरादाबाद

न्यायालय सि०जज (जू०डि०) मुरादाबाद

CSM 762/07

Ex 39/10

7.9.2011

Case called out. Parties are present with their learned counsels. 37 Ka compromise filed by parties identified by their learned counsel. 37 Ka compromise is allowed. Case is decided in terms of compromise 37 Ka. 37 Ka compromise will form part of decree.

[illegible signatures]

केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग [illegible] मुरादाबाद

Photo state by, this counsel by - महेश कुमार

WA 70/-

प्रतिलिपिक
29-10-2023
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

36 - 11

CJSD

Virendra Kumar
Advocate
Ch. No......

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०), मुरादाबाद।

वि०वाद सं० – 205/11 (C.A. सं- 39/2010)

नवीन कुमार —— Vs —— उमेश कुमार आदि

नकल – डिक्री

सि. फा. २४—ग

आदेश के विरुद्ध अपील में डिगरी

395/1
6845/1

(आर्डर 41, नियम 37—आर्डर 46, नियम 9)

दीवानी न्यायालय जिला सी० जज (सि०डि० अवर) मुरादाबाद की डिगरी

सिविल अपील संख्या 39 सन 2010

अपील प्रस्तुत होने का दिनांक 5 मास 5 सन 2010 अपीलकर्ता

श्री नवीन कुमार आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व० श्री राम कृपाल निवासी भारतीय भवन सम्भली दरवाजा, मुरादाबाद — वादी/अपीलार्थी

प्रति प्रत्यर्थी

1- श्री उमेश कुमार आयु 57 वर्ष
2- श्री अवधेश कुमार आयु 63 वर्ष } पुत्रगण स्व० श्री राम बहादुर
3- श्री मुकेश कुमार आयु 55 वर्ष
4- श्री संजीव कुमार आयु 50 वर्ष
5- श्री पंकज कुमार आयु 46 वर्ष } पुत्रगण स्व० रामकृपाल

समस्त निवासीगण सम्भली दरवाजा, मुरादाबाद प्रतिवादी

टिप्पणी—जो पते के ऊपर लिखे हैं वे उभय पक्ष के सिवाय

टिप्पणी—जो पते के ऊपर लिखे हैं वे उभय पक्ष के सिवाय

अपील का निर्धारित मूल्य 100000/-

सन् 19 [redacted] के के दिवस को दिनांकित डिगरी संख्या के

दिवस

अपील करने के कारण

1- निम्न न्यायालय का उक्त निर्णय न्याय व नियम के विरुद्ध

शेष पृष्ठ 4 पर

(2)

सन् 2011 के 9 मास के 7 दिवस को इस

न्यायालय स्पे० जज (ई०सी०एक्ट) मुरादाबाद अध्यक्ष श्री राम मोहन शर्मा

के समक्ष

वकील अपीलकर्ता गोपाल मोहन श्रीविप एडवोकेट

तथा

श्री एस० के० सक्सेना एड० वकील प्रतिवादी

की उपस्थिति में इस अपील की सुनवाई के पश्चात् Case called out. Parties are present with their learned counsels 37 Ka compromise filed by parties identified by their learned counsel 37 Ka compromise is allowed. Case is decided in terms of compromise 37 Ka. Compromise shall form part decree. यह डिगरी और आदेश हुआ कि अधीनस्थ

विभाग को सन् 2011 के 9 के 7 दिवस की दिनांकित

डिगरी

और यह भी आदेश हुआ कि ✗ इस न्यायालय के खर्चे के संबंध में, जिसका कि भार उनके ऊपर पड़ा, दें।

और यह भी आदेश हुआ कि ✓ अधीनस्थ विभाग के खर्चे के संबंध में, जिसका कि भार उनके ऊपर पड़ा, दें।

हस्ताक्षर अधिकारी

Special Judge (E.C. Act)
Addl. Distt. & Sess. Judge
Moradabad. (U.P.)

21/9/2011

(3)

इस अपील में लगाये गये खर्चों का स्मरण-लेख

अपीलकर्ता की ओर से—

अधीनस्थ विभाग में— 5283-50

इस न्यायालय में— 2329-00

प्रतिवादी की ओर से—

अधीनस्थ विभाग में— ×

इस न्यायालय में— 415-00

न्यायालय के मुंसरिम के हस्ताक्षर

14/9/2011

अपीलकर्ता के वकील के हस्ताक्षर

ह० गोपाल मोहन श्रोत्रिय एड०

प्रतिवादी के वकील के हस्ताक्षर

ह० एस०के० सक्सेना एड०

पी० एस० यू० पी० (आर० आर०) —07 उच्च न्यायालय—3-7-07—1,00,000 फार्म।

Photostated by Anil
Comp. by - Tanvir Ahmad
C. A. - 350

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
15-9-2011

तथ्यों व वास्तविकता के विपरीत पारित आदेश है।

2. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में उन आधारों को अनदेखा किया है जो उसके निर्णय की

3. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में पूर्णतया मनमाना रवैया अपनाया है।

4. निम्न न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय मा० उ० न्या० के आदेश 15 नियम का अवलोकन न करने में पूर्णतया इललीगेलिटी की है।

5- निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत वाद में कोई विवाद्य बिन्दु आवश्यक पक्षों को सम्मिलित न करने के सम्बन्ध में निर्मित नहीं हुआ था न इस सम्बन्ध में कोई स्लीडिंग ही पत्रावली पर थी, परन्तु निम्न न्यायालय ने बिना प्लीडिंग और बिना विवाद्य बिन्दु के इस सम्बन्ध में अपना निर्णय पारित करने में पूर्ण रूप से इललीगेलिटी की है।

6- निम्न न्यायालय ने गाटा सं० 280/2 क्षेत्रफल 0.201 व गाटा सं० 281 के रास्ता होने के सम्बन्ध में जो कथन किया है वो पूर्णतया तथ्यों व साक्ष्य के परे निर्णय है।

7- उभय पक्षों के अभिकथनों व साक्ष्य पर प्रस्तुत विपक्षी पक्ष की प्रमाणित प्रतिलिपि की खतौनी से यह स्पष्ट है कि गाटा सं० 281 का रास्ता कदापि भी सार्वजनिक रास्ता नहीं है बल्कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पत्ति है और इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा सार्वजनिक रास्ते का उल्लेख नहीं किया गया।

8- निम्न न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी पक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति में अपना अपना 1/8-1/8 भाग होने का कथन करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाजन के सम्बन्ध में पारित कोई भी डिक्री केवल उक्त वाद के पक्षकारों पर ही लागू होती। उक्त विधिक तथ्य की ओर निम्न न्यायालय ने ध्यान न देने में पूर्णतया इललीगेलिटी की है।

9- निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों का अवलोकन न करने में पूर्णतया इललीगेलिटी की है।

10- निम्न न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को सही रूप से न तौलने में पूर्ण रूप से इललीगेलिटी की है तथा अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है।

11- पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद

05
02.11.12

न्यायालय ... मुरादाबाद।

वि० वाद सं०– 205/2011

नवीन कुमार – Vs – श्री उमेश कुमार आदि।

नकल – आदेश दि० 25/10/2012

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), मुरादाबाद।

विविध वाद संख्या–205/2011

नवीन कुमार आयु लगभग 51वर्ष पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल,
निवासीः– भारतीय भवन सम्भली दरवाजा, मुरादाबाद।
..........प्रार्थी/वादी।

बनाम

1–श्री उमेश कुमार आयु 57वर्ष
2–श्री अवधेश कुमार आयु 63वर्ष
3–श्री सुरेश कुमार आयु 55वर्ष, पुत्रगण स्व0 श्री रामबहादुर।
4–श्री संजीव कुमार आयु 48वर्ष,
5–श्री पंकज कुमार आयु 46वर्ष, पुत्रगण स्व0 रामकृपाल,
निवासीगणः–सम्भली गेट, मुरादाबाद।
6–श्रीमती आदर्श पुत्री स्व0 श्री रामकृपाल पत्नी श्री वेदभूषण,
निवासीः–मौ0 ठेर सम्भल, जिला–मुरादाबाद।
7–श्रीमती प्रभा पुत्री स्व0 श्री रामकृपाल पत्नी श्री किशन गोपाल,
निवासीः– मौ0 बिसौली गेट चन्दौसी, जिला–मुरादाबाद।
8–श्रीमती बीना पुत्री स्व0 रामकृपाल पत्नी श्री प्रदीप रस्तौगी,
निवासीः– मौ0 160 सकेत मेरठ।
9–श्रीमती मंजू पुत्री स्व0 श्री रामकृपाल पत्नी श्री अनिल भल्ला,
निवासीः– 7/85 डबल स्टोरी तिलकनगर, दिल्ली।
10–श्रीमती चित्रा पुत्री स्व0 श्री रामकृपाल पत्नी श्री एच.एस.गिल,
निवासीः–दोहा स्टेट ऑफ कतर।
विपक्षीगण 6 ता 10 द्वारा अपने मुख्तयारे खास श्री समीर रस्तौगी पुत्र श्री नवीन कुमार रस्तौगी, निवासीः–भारतीय भवन सम्भली गेट, मुरादाबाद।
11–श्रीमती रूबी रस्तौगी पुत्री स्व0 श्री रामबहादुर पत्नी श्री अतुल रस्तौगी,
निवासीः–अमरोहा गेट, मुरादाबाद।
12–श्री विपुल कुमार पुत्र स्व0 श्रीमती सुधा, निवासीः– मौ0 भट्टी स्ट्रीट, मुरादाबाद।
13–श्रीमती रति रस्तौगी पुत्री स्व0 श्रीमती सुधा निवासीः– मुरारी लाल बाग रामपुर।
14–श्रीमती मोनिका रस्तौगी पुत्री स्व0 श्रीमती सुधा निवासीः– लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
विपक्षीगण संख्या–12,13,14 धेवता व धेवतीगण स्व0 श्री रामबहादुर के हैं।
..........विपक्षीगण।

प्रतिलिपि अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

"निस्तारण प्रार्थनापत्र 3ग"

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र अपील संख्या–39/2010 में पारित आदेश एवं डिक्री के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गयी प्रारम्भिक डिक्री के अनुपालन में पक्षकारों के कुर्रे कायम करने और तद्नुसार अन्तिम डिक्री बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के कथनानुसार मूल वाद संख्या–762/2007 नवीन कुमार बनाम उमेश कुमार आदि विवादित सम्पत्ति के विभाजन हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक– 09.04.2010 को खण्डित

कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील संख्या–39/2010 नवीन कुमार बनाम उमेश कुमार आदि योजित की गयी। अपील के दौरान पक्षकारों के मध्य समझौते हो गये। समझौते के अनुरूप अपील का निस्तारण करते हुए तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री तैयार की गयी, जिसमें प्रत्येक पक्षकार का 1/6–1/6 हिस्सा निर्धारित किया गया, उसी प्रारम्भिक डिक्री के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम डिक्री बनाये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में एक शपथपत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 6ग के माध्यम से सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांकित– 07.09.2011 कागज संख्या–7ग तथा सत्यप्रतिलिपि समझौतानामा कागज संख्या–8ग, सूची 18ग के माध्यम से सत्यप्रतिलिपि डिक्री मय तस्फिया कागज संख्या–19ग, सूची 23ग के माध्यम से सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांकित– 08.02.2008 कागज संख्या–24ग दाखिल की गयी है।

अन्तिम डिक्री बनाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति की मौके पर तकसीम करने हेतु अमीन कमीशन जारी किया गया। अमीन महोदय द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कागज संख्या–25ग मय नक्शा नजरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अमीन रिपोर्ट पर पक्षकारों की आपत्ति आमंत्रित की गयी। विपक्षी संख्या–1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी पक्षकार द्वारा अमीन रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गयी। सभी पक्षकार अमीन द्वारा मौके पर की गयी तकसीम एवं उसके आधार पर बनाये गये कुर्रे से सहमत हैं।

विपक्षी संख्या–1 उमेश कुमार द्वारा अमीन रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति कागज संख्या–27ग प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि वह विवादित सम्पत्ति के 1/6 भाग का हकदार है, विवादित सम्पत्ति के कुल भाग में उसका हिस्सा 1,856वर्गमीटर है, जबकि अमीन महोदय ने मात्र 1,608.39 वर्गमीटर का कुरा उसके हिस्से में बनाया है। इस प्रकार अमीन रिपोर्ट के अनुसार आपत्तिकर्ता को 247वर्गमीटर की आराजी कमल मिली है। अमीन महोदय ने अपनी आख्या में गाटा संख्या–281 में 0.36है. का रास्ता बताया है, जबकि मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। अमीन ने अपनी आपत्ति में विवादित सम्पत्ति की साइडों की आराजी को पड़ोसियों द्वारा दबाये जाने की बात की है, जबकि वास्तविकता यह है कि अन्य प्रतिवादीगण ने भू–माफियाओं को आराजी विक्रय कर दी है और उसका बैनामा नहीं कराया है। अमीन महोदय ने अपनी आख्या में सड़क के किनारे की चौड़ाई 106.20वर्गमीटर दर्शाया है, जबकि मौके पर वह 120मीटर होनी चाहिए। तहसील मुरादाबाद द्वारा भी सूचना के अधिकार के अन्तर्गतचौड़ाई 120वर्गमीटर दर्शायी गयी है। इस प्रकार अमीन ने अन्य पक्षकारों से हमसाज होकर यह आख्या प्रस्तुत की है और निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या--1 की आपत्ति के विरूद्ध ~~उपरोक्त आपत्ति के विरुद्ध~~ अपनी प्रतिआपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी की तरफ से कहा गया है कि पक्षकारों के पूर्वज स्व0 श्री रामबहादुर व लालाराम कृपाल द्वारा प्रेमकुंवर से दिनांक– 14.09.1961 को खसरा नम्बर– 370/1 रकबई 0.371एकड़, 370/2 रकबई 0.50 एकड, 371 रकबई 0.09एकड़, 372 रकबई 1.42एकडत्र व 373 रकबई 0.32एकड़ व 379/1 रकबई 0.06एकड़ भूमि क्रय की थी। 1375 फसली में चकबन्दी प्रकिया के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर के नये नम्बरान 280/1, 280/2, 281, 282 व 283 तथा 289/1 बना दिये गये, जिसमें से गाटा संख्या–281 रास्ते का नम्बर रहा, 289/1 जिसका क्षेत्रफल 0.02 है. पर कोमल सिंह ने अवैध रूप से कब्जा करके अपना मकान बनवा लिया। पक्षकारों के आपसी विवाद के कारण उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। विवादित सम्पत्ति के पूरब, पश्चिम व दक्षिण में कमशः पार्श्वनाथ प्लाजा, मानसरोवर कालोनी के निर्माण में रमेश अग्रवाल व उमेश अग्रवाल ने चाहरदीवारी बनाते समय विवादित सम्पत्ति की भूमि भी उसमें शामिल कर ली, जिसके लिए पक्षकारों ने कोई सहमति नहीं दी है और पक्षकारों के मध्य लागातार आपसी विवाद के कारण उनके विरूद्ध भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी। विवादित सम्पत्ति के मध्य 281 रास्ते का नम्बर है, जो गाटा संख्या–283 तक जाता है, 281 रास्ते की भूमि होने के कारण उसे तकसीम तलबा भूमि में नहीं जोड़ा गया है। विवादित भूमि के राष्ट्रीय राजमार्ग की की तरफ पूरब दिशा में मन्दिर का निर्माण हो जाने व चकरोड की चौड़ाई व कोमल सिंह द्वारा समाने की भूमि पर कब्जा कर लेने के कारण वर्तमान में सामने की भूमि की चौड़ाई 120वर्गमीटर न रहकर 100.70वर्गमीटर ही रह गयी है। आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या–1 भी इससे भलिभांति परिचित है। डिकीदार एवं शेष विपक्षीगण विवादित सम्पत्ति के किसी भी भाग को किसी व्यक्ति को नहीं बेचा और मौके पर विपक्षी संख्या–1 की उपस्थिति में ही अमीन महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसी के आधार पर यह आख्या तैयार की गयी है। इसलिए विपक्षी संख्या–1 की आपत्ति खारिज किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए कहा गया है कि विवादित सम्पत्ति में प्रार्थी व शेष विपक्षीगण 1 ता 5 का 1/6–1/6 हिस्सा है। पक्षकारों के आपसी विवाद के कारण उनकी काफी कीमती भूमि पहले ही बर्बाद हो चुकी है। पक्षकारों के आपसी विवाद का फायदा उठाते हुए कोमल सिंह, रमेश अग्रवाल व उमेश अग्रवाल ने उनकी भूमि के एक बड़े भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, परन्तु समय पर कार्यवाही न किये जाने के

कारण उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जिसका काफी क्षेत्रफल सड़क में निकल गया, इसलिए मौके पर कम भूमि रह गयी है। अतः ऐसी स्थिति में मौके पर जो भूमि वर्तमान में उपलब्ध है, उसी के अनुसार बटवारा किया जा सकता है। तहसील द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जो आख्या दी गयी है, वह राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है, न कि मौके के अनुसार। मौके पर भूमि कम है और फ्रन्ट उतना ही है, जितना अमीन महोदय ने अपनी आख्या में दिखाया है। किसी भी पक्षकार ने किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का कोई क्रय नहीं किया है, बल्कि भूमि पर दीगर व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। विवादित सम्पत्ति से होकर गाटा संख्या–281 के रास्ते का नम्बर जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से गाटा संख्या–283 तक जाता है, क्योंकि मौके पर रिकॉर्ड के विपरीत कम भूमि है, इसलिए उसी के अनुसार कुर्रे बनाये जा सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में रास्ते की भूमि को विभाजन नहीं जा सकता। रास्ते की भूमि का पक्षकारों से कोई मतलब–वास्ता नहीं है, वह नगर निगम की सम्पत्ति है, जो विभाजन योग्य नहीं है, किसी भी परिस्थिति में उसे बटवारे का भाग नहीं बनाया जा सकता। अमीन महोदय द्वारा मौके पर जो बटवारा किया गया है, वह सही है और पक्षकारों की उपस्थिति में ही उनकी सहमति के आधार पर कुर्रे बनाये गये थे और विपक्षी संख्या–1 ने अपनी सहमति से ही पश्चित की तरफ की भूमि ली है। शेष विपक्षी संख्या–2 ता 5 ने भी प्रार्थी के कथनों से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका आपस में कोई विवाद नहीं है और प्रार्थी के कथनों से पूर्णतः सहमत है।

प्रतिपक्षी संख्या–1 की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उन्हें पश्चिम में हिस्सा दिया गया है, जिस तरफ उन्हें हिस्सा दिया गया है, उस तरफ हिस्सा लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसकी मुख्य आपत्ति सामने की तरफ सड़क के किनारे चौड़ाई में कम भूमि मिलना है, उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि नापजोख उसके सामने की है और उसकी सहमति से ही पश्चिम का भाग दिया गया है। प्रतिपक्षी संख्या–1 द्वारा यह भी कहा गया है कि उसकी मुख्य आपत्ति चकरोड गाटा संख्या–281 की भूमि को बटवारे में न शामिल करने की बावत भी है, क्योंकि प्रश्नगत चकरोड न तो मौके पर बनी है और न ही उसका कोई वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि प्रश्नगत चकरोड पक्षकारों की भूमि के मध्य तक जाकर समाप्त हो जाती है, उसका उपयोग वर्तमान में नहीं है। इसलिए उसे भी बटवारे का भाग बनाया जाना चाहिए था, जिस पर शेष पक्षकारों की तरफ से आपत्ति करते हुए कहा कि चकरोड, चूंकि नगर निगम की सम्पत्ति है, इसलिए

उसी बटवारे में पृथक रखना आवश्यक है। किसी भी पक्षकार को उस पर अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है। बहस के दौरान इस तथ्य को विपक्षी संख्या-1 ने भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का कुछ भाग उनके पट्टीदारों के कब्जे में है और मौके पर रिकॉर्ड के विपरीत कम भूमि है। परन्तु विपक्षी संख्या-1 यह चाहता है कि बटवारे में चकरोड की भूमि को भी शामिल किया जाय, इसके अतिरिक्त उसे अमीन रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रारम्भिक डिक्री के परिप्रेक्ष्य में विवादित सम्पत्ति की बावत पक्षकारों के हिस्से निर्धारित कर मौके पर कुर्रे बनाये जाते हैं। विवादित सम्पत्ति में प्रत्येक पक्षकार का 1/6 हिस्सा है, अर्थात मौके पर जितनी सम्पत्ति है, उसको बराबर 6 भागों में बांटा जाना है। विवादित सम्पत्ति पर बने निर्माणात को भी इस प्रकार के कुर्रे बनाने में ध्यान में रखना होगा। विवादित सम्पत्ति पर जो निर्माणात मौके पर दर्शाये गये हैं, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खण्डहरकार के रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान में उनका कोई मूल्य नहीं है। किसी भी पक्षकार ने उनकी बावत कोई क्लेम भी नहीं किया है। विवादित सम्पत्ति पर जो कुर्रे बनाये गये हैं, वह विवादित सम्पत्ति को समतलीय प्लाट के रूप में मानकर बनाये गये हैं। पक्षकार भी इस बात से सहमत है कि कुर्रे बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक पक्षकार को अपने हिस्से पर आने-जाने के लिए मुख्य सड़क से रास्ता प्राप्त हो। इसलिए विवादित सम्पत्ति का विभाजन पूरब- पश्चिम किया गया है, पक्षकारों को मुख्य सड़क पर 16.78 मीटर का फ्रन्ट मिला है। आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-1 को उनकी इच्छानुसार पश्चिम तरफ का भाग मिला है। इस पर उसे कोई आपत्ति भी नहीं है। वादी एवं विपक्षी संख्या-1 को छोड़कर शेष हिस्सेदार के मध्य कोई विरोध नहीं है, उन्होंने अपना मुश्तर्का हिस्सा एक साथ पूरब की तरफ प्राप्त किया है, जो क्वाटर आदि विवादित सम्पत्ति के पूरबी हिस्से में दर्शाये गये हैं, वह खण्डहर के रूप में मौके पर विद्यमान हैं और उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है, इसलिए किसी भी पक्षकार ने उनकी बावत कोई क्लेम नहीं किया है।

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित सम्पत्ति के पूरब एवं पश्चिम में स्थित व्यक्तियों को शेष पक्षकारों द्वारा कोई भूमि का मौखिक अथवा लिखित हस्तान्तरण किया गया है अथवा विवादित सम्पत्ति पर पक्षकारों की सहमति से कोई अतिक्रमण किया गया है। माल कागजातों में विवादित सम्पत्ति का जो क्षेत्रफल दर्शाया गया है, उसके विपरीत मौके पर जो क्षेत्रफल है, वह कम है। अन्तिम डिक्री बनाते समय मौके पर जो क्षेत्रफल उपलब्ध है, उसी के अनुसार विभाजन किया जाता है। यदि मौके पर

भूमि कम है तो प्रत्येक हिस्सेदार उसी के अनुपात में कम हिस्सा पायेगा। यदि विवादित सम्पत्ति से होकर कोई रास्ता जाता है तो रास्ते की भूमि को कुरे से सदैव अलग रखा जाता है। रास्ता स्वीकृत रूप से नगर निगम की सम्पत्ति है, इसलिए न्यायालय उसका विभाजन नहीं कर सकता, चाहे वह रास्ता विवादित सम्पत्ति पर ही जाकर समाप्त क्यों न हो जाता हो, उसे प्रत्येक स्थिति में कुरे से अलग रखा जायेगा। न्यायालय को किसी दूसरे की सम्पत्ति का विभाजन कर पक्षकारों को देने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे उस रास्ते का वर्तमान में कोई प्रयोग हो रहा हो अथवा नहीं। रास्ते की प्रकृति रास्ते की ही रहेगी, उसे नहीं बदला जा सकता। रास्ते का स्वामित्व नगर निगम में निहित है और जब तक मौके पर रास्ता मौजूद है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रयोग करने व उससे आने–जाने का अधिकार है, चाहे उसे विशेष रूप से चिन्हित न किया गया हो। इसलिए अमीन द्वारा रास्ते को बटवारे से अलग रखा गया है, वह उचित ही है, उसे किसी भी परिस्थिति में बटवारे का भाग नहीं बनाया जा सकता। इसलिए रास्ते की जो भूमि है, उसे मौके पर स्थित भूमि के क्षेत्रफल से घटाकर ही वास्तविक क्षेत्रफल निकाला जायेगा। मोके पर वर्तमान में सामने की तरफ 106.20 मीटर का फ्रन्ट है, जिसमें विवादित रास्ता भी शामिल है, इसलिए विवादित रास्ते की चौड़ाई समस्त चौड़ाई में से घटाकर ही विभाजन किया जाना है। इस प्रकार अमीन महोदय द्वारा मौके पर जो विभाजन किया गया है, वह विधि अनुरूप ही है और उसमें कोई भी अवैधानिकता नहीं है, जो सम्पत्ति मौके पर नहीं है, उसको आपत्तिकर्ता को दिया जाना सम्भव नहीं है, न ही रास्ते की सम्पत्ति को किसी भी रूप में प्रश्नगत सम्पत्ति में शामिल कर कुरे बनाये जा सकते हैं। रास्ते की प्रकृति रास्ते के रूप में ही रहगी, चाहे उसे विशेष रूप से मौके पर चिन्हित न किया गया हो। किसी भी पक्षकार द्वारा उसे अपने हिस्से में शामिल नहीं किया जा सकता। उसे बटवारे से पृथक रखना ही विधिपूर्ण होगा। मौके पर जो सम्पत्ति मौजूद है, उसी के आधार पर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जायेगा। यदि किसी भी कारणवश मौके पर सम्पत्ति कम है तो प्रत्येक हिस्सेदार को उसी अनुपात में कम हिस्सा मिलेगा। अमीन महोदय द्वारा भी प्रश्नगत मामले में ऐसा ही किया गया है। विवादित सम्पत्ति में प्रत्येक पक्षकार का 1/6 हिस्सा है, उसी के अनुरूप सभी पक्षकारों को बराबर–बराबद क्षेत्रफल की भूमि दी गयी है। सभी पक्षकारों को समान रूप से बराबर चौड़ाई का फ्रन्ट मिला है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अमीन महोदय ने जो मौके पर जाकर विवादित सम्पत्ति का विभाजन कर कुरे बनाये हैं, वह विधि अनुरूप हैं और प्रत्येक पक्षकार के लिए सुविधाजनक भी हैं। अतः अमीन रिपोर्ट कागज संख्या–25ग मय नक्शा नजरी पुष्ट करते हुए प्रार्थनापत्र

3ग स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अमीन रिपोर्ट कागज संख्या–25ग मय नक्शानजरी पुष्ट करते हुए प्रार्थनापत्र 3ग अमीन रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अन्तिम डिकी तैयार हो।

अमीन रिपोर्ट कागज संख्या–25ग मय नक्शा नजरी अन्तिम डिकी का भाग होगी।

25.10.12

सिविल जज (सी.डि.) 25/10/12
मुरादाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक,
केन्द्रीय प्रतिलिपि अनुभाग,
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।